वर्ष 2017–18 के पार्किंग शुल्क वसूली हेतु निविदा सम्बन्धी निर्धारित नियम एवं शर्ते :–

1. वर्ष 2017–18 के पार्किंग ठेके हेतु एतद्द्वारा सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ निम्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

A. निविदादाता का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड।

B. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

C. पेन कार्ड की छायाप्रति।

D. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता को पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

E. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता का कोई रिश्तेदार/सम्बन्धी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में सेवारत नही है।

3. निविदादाता द्वारा प्रत्यके स्थल हेतु पृथक–पृथक निविदायें अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द की जायेगी तथा उन पर पार्किंग स्थल का नाम अंकित किया जायेगा। यदि उपरोक्तानुसार निविदायें प्रस्तुत नही की जाती है तो निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
4. ठेके हेतु सील बन्द टेण्डर के साथ संलग्न आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत का बैक डाफ्ट प्रस्तुत करना होगा। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा करनी होगी तथा 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य की एफ0 डी0 आर0/सी0डी0आर0, जो सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से बनेगी, प्रस्तुत करनी होगी, जो ठेका संचालन की अवधि तक प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यदि नियम व शर्तो का उल्लघंन किया जाता है या पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की टूट–फूट या किसी प्रकार के उपकरण की क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में क्षति पूर्ति की कटौती करते हुये शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. वर्ष 2017–18 के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1050/– (वैट सहित) प्रति निविदा निर्धारित है। प्रत्येक पार्किंग स्थल के लिये पृथक–पृथक निविदा प्रेषण अनिवार्य होगा अर्थात एक निविदा प्रपत्र पर एक पाार्किंग स्थल मात्र की निविदा स्वीकार की जायेगी।
6. पार्किंग शुल्क की वसूली की अनुमति दिनांकः 05.10.2017 से 04.10.2018 तथा कानपुर रोड स्थित ट्रान्स पोर्ट नगर पाक्रिंग नं0–04, 05 व 10 एवं बेगम हजरत महल पार्क की पार्किंग स्टैण्ड की अनुमति दिनांक 15.10.17 से 14.10.17 या कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए ही मान्य होगी तथा पार्किंग शुल्क वसूली की उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर निविदादाता का कब्जा/ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा।
7. विभिन्न पार्किंग स्थलों के लिए आमंत्रित की जा रहीं निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र 13.09.17 से 22.09.17 से प्रत्येक कार्यदिवस में यूको बैंक एल0डी0ए0 गोमती नगर शाखा से प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे अपरान्ह तक नगद क्रय किये जा सकते हैं। निविदादाता को अपना पेन कार्ड नम्बर तथा मोबाईल नम्बर सुस्पष्ट निविदा प्रपत्र पर अंकित करना अनिवार्य है।

8. दिनांक 22.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक भूतल स्थित कमेटी हाल एल0डी0ए0 आफिस, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में रखे निविदा बाक्स में सीलबन्द निविदायें डाली जा सकेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे कमेटी हाल एल0डी0ए0 आफिस विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में गठित निविदा कमेटी के समक्ष निविदायें खोली जायेंगी।

9. निविदा स्वीकृत होने तथा स्वीकृति की सूचना निविदादाता को प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर निविदा की कुल धनराशि का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 व 2 प्रतिशत आयकर जमा करना होगा तथा निविदा की कुल धनराशि के 04 प्रतिशत मूल्य का धनराशि के स्टैम्प पेपर पर निर्धारित शर्तों के पालन हेतु निविदादाता को प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध करना।

10. जी0एस0टी0 व आयकर प्राधिकरण कोष में जमा करने तथा अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही कब्जा पत्र जारी किया जायेगा। ऐसा न करने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।

11. निविदादाता द्वारा दी गई निविदानुसार किसी भी शर्तो का उल्लघन करने या किसी अन्य विवाद की स्थिति में पार्किग ठेका स्वीकृत करने/अस्वीकार करने/निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा।

12. अपदा, दंगा, कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा यातायात व्यवस्था परिवर्तन के कारण पार्किंग बन्द रहने पर यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा यह क्षति निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी।

13. पार्किग स्थल पर खडे होने वाले वाहनों की गहन जांच वाहन खडे होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कराने की व्यवस्था अपने व्यय पर निविदादाता को करनी होगी।

14. पार्किग स्थलों का कार्यकाल प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही प्रभावी होगा तथा मल्टी लेविल पार्किंग, हजरतगंज एवं ट्रान्सपोर्ट नगर की समस्त पार्किंग 24 घण्टे प्रभावी रहेगी तथा भूमिगत पार्किंग गोल मार्केट, भूतनाथ पार्किंग, इन्दिरानगर, सरोजनी नायडू पार्किंग व भूमिगत पार्किंग, चन्दरनगर प्रातः 07:00 बजे से रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

15. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक की वसूली वाहन मालिकों से किये जाने पर व नियम/शर्तों का उल्लघंन करने की शिकायत पाये जाने पर पांच लाख से कम तक के निविदादाता से रू0 20,000/– तथा पांच लाख से अधिक धनराशि के निविदादाता से रू0 50,000/– अथवा बीस प्रतिशत जो भी अधिक हो, तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा। पुनः उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

16. निविदा की अवधि में शासन/नगर निगम लखनऊ/ल0वि0प्रा0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कर शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

17. ठेकेदार द्वारा स्थल पर 4×2.5 फिट का सूचना पट जिस पर निविदादाता का नाम व पता, स्थल एवं दर की सूची अंकित हो, लगवाया जायेगा। जिसकी देख–रेख व सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का होगा। पार्किग स्थल का प्रयोग टैंक्सी/बस/आटो स्टैण्ड अथवा पार्किग से भिन्न किसी अन्य प्रकार से नही किया जायेगा।
18. न्यायालय अथवा जनहित में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/शासन द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत निविदा समाप्त कर दिये जाने की दशा में निविदादाता बिना किसी आपत्ति के भूमि को खाली करके कब्जा तत्काल लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप देगा। ऐसी दशा में निविदादाता की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के क्रास चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी, किन्तु निविदा के दौरान यदि कुछ अवधि की कटौती जनहित में आवश्यकतानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण/शासन अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है तो इस क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का नहीं होगा और न ही निविदादाता द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जायेगा।
19. निविदादाता और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा। निविदादाता तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा लगी किसी एक्सेसरी के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
20. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर कूपन उस व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा जिससे पार्किग शुल्क की वसूली की जानी है। बिना कूपन के कोई भी वाहन पार्किग स्थल पर खडा नहीं किया जायेगा।
21. मा0 सांसद, मा0 विधायक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी, उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार के सरकारी वाहन तथा मा0 न्यायमूर्ति/मा0 न्यायधीशगण के वाहन तथा विकलांगजनो के वाहन पार्किग शुल्क से मुक्त होंगे अर्थात इनसे निविदादाता कोई धनराशि नहीं वसूल करेंगा।
22. यदि पार्किंग स्थल का कब्जा सम्बन्धित निविदादाता को दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा। ऐसे प्रकरणो पर निर्णय करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का होगा जो अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
23. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में छोड देने पर जमा धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेगी।
24. पार्किंग स्थल पर निविदादाता द्वारा किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही पार्किग स्थल में किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि लगवाई/लगाई जायेगी और न ही बांस, टट्टर आदि से घेर कर अथवा अन्य प्रकार से अतिक्रमण किया जायेगा। ऐसा करने पर निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी अथवा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
25. पार्किंग की निविदा प्रकिया के दौरान या पार्किंग संचालन के दौरान पार्किंग की नियम शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार ल0वि0प्रा0 का होगा।

26. निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के निविदा निरस्त कर दें तथा निविदादाता द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ले।

27. मल्टी लेविल पार्किग हजरतगंज, भूमिगत पार्किंग–गोल मार्केट, भूतनाथ भूमिगत पार्किंग, सरोजनी नायडू भूमिगत पार्किंग व भूमिगत पार्किग चन्दरनगर आलमबाग मे 04 पहिया वाहन मासिक पास शुल्क रू0–1000/– एवं 02 पहिया वाहन हेतु मासिक पास शुल्क रू0–400/– संशोधित दरे निर्धारित है, परन्तु जिन पार्किंग स्थलो की नीलामी द्वारा ठेकेदारो को पार्किंग संचालन हेतु ठेका दिया गया है उनमें उक्त संशोधित बढी हुई दरे ठेका अवधि समाप्ति के पश्चात दरे लागू होंगी। अन्य समस्त पार्किंग में मासिक शुल्क चार पहिया वाहन हेतु रू0 500/– दो पहिया वाहन हेतु रू0 200/– प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है, उससे अधिक की वसूली नही की जायेगी।

28. जैसे है–जहां है, के आधार पर पार्किंग स्थल की वसूली करने का अधिकार दिया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा अलग से कोई बैरिकेडिंग, भूमि का समतलीकरण, आदि की कोई व्यवस्था नही की जायेगी।

29. पार्किंग संचालन की अनुबंधित अवधि के दौरान पार्किंग परिसर में होने वाली सामान्य टूट–फूट मरम्मत एवं विद्युत/फायर फाईटिंग उपकरणों के अनुरक्षण का दायित्व पार्किंग संचालनकर्ता का होगा।

30. मल्टी लेविल पार्किग हजरतगंज, भूमिगत पार्किंग गोल मार्केट व भूमिगत भूतनाथ पार्किंग, भूमिगत सरोजनी नायडू पार्किंग, भूमिगत चन्दर नगर पार्किंग के लिए पार्किंग स्टैण्ड के संचालनकर्ता द्वारा निविदा के साथ विगत तीन वर्षो का इनकम टैक्स सर्टीफिकेट/बैलेन्स शीट का विवरण एवं तीन वर्ष पार्किंग संचालन के सम्पादित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

31. हजरतगंज के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से पार्क किये गये वाहनों को हटाने के लिये लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है। नगर निगम लखनऊ द्वारा इस हेतु क्रेन उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर यातायात पुलिस द्वारा पुलिस कार्मिक की तैनाती की जायेगी। क्रेन का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग के ठेकेदार के माध्यम से किया जायेगा। क्रेन के रख–रखाव व अनुरक्षण का दायित्व एवं डाईवर की व्यवस्था करने का दायित्व उक्त ठेकेदार का ही होगा। प्रत्येक वाहन को उठाने पर रू0 1100/– का अर्थ दण्ड रोपित किया जायेगा। जिसका वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा।

अ) रू0 700/– लखनऊ नगर निगम।

ब) रू0 300/– लखनऊ विकास प्राधिकरण जिसमे से रू0 200/–पार्किग संचालनकर्ता को दिया जायेगा।

स) रू0 100/– यातायात पुलिस विभाग।

32. किसी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में दी गयी सूचनायें असत्य अथवा अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण है तो निविदा/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

33. पार्किंग संचालनकर्ता को प्रतिदिन पार्किंग स्थल की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु आवश्यक सफाई कर्मी, सफाई का समान एवं उपकरण आदि की व्यवस्था का दायित्व संचालनकर्ता का होगा।

34. **समस्त पार्किंग स्टैण्डो के लिये हैण्ड हैल्ड मशीन द्वारा टिकट निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की दशा में इसे निविदा शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा, जिसके लिए निविदादाता की निविदा/ठेका निरस्त किया जा सकता है।**

35. समस्त पार्किंग स्थलो के विद्युत बिल का भुगतान संचालक द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

36. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थलों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नउद्धार, परिमार्जन, परिसीमन अथवा पुर्ननिर्धारण कार्य कराए जाने की स्थिति में संचालक द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जाएगा और इसके फलस्वरूप संचालक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं प्रस्तुत कर सकेगा।

37. कानपुर रोड ट्रान्सपोर्ट नगर स्थित पार्किंगो में पार्किंग के टेण्डर मूल्य में कैपटेरिया व मिल्क बूथ एवं सुलभ शौचालय भी सम्मिलित है।

38. ठेके की अवधि **05.10. 2017 से 04.10. 2018** तक अथवा कब्जे की तिथि से एक वर्ष हेतु।

39. **कानपुर रोड स्थित ट्रान्स पोर्ट नगर पार्किंग नं0–04, 05 व 10 एवं बेगम हजरत महल पार्क की पार्किंग स्टैण्ड के ठेके की अवधि दिनांक 14.10.17 को समाप्त हो रही है जिस कारण इन ठेके की अवधि दिनांक 15.10.17 से 14.10.18 तक अथवा कब्जे की तिथि से एक वर्ष हेतु।**

40. किसी भी निविदा अथवा निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताये पूर्णतः निरस्त किये जाने अथवा आंशिक रूप से निरस्त किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 में निहित है।